माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल – mpbse@mp.nic.in वेब साइट – www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755–2551650) (फैक्स–0755–2552061)

क्रांक/1734/परीक्षा–समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक–7/08/2020

प्रति,

1– समस्त– कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2– समस्त– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3– समस्त– संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4– समस्त– जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5– समस्त– समन्वयक संस्था प्राचार्य, मण्डल परीक्षायें वर्ष 2020 मध्यप्रदेश।
6– समस्त– समस्त केन्द्राध्यक्ष, मण्डल परीक्षायें वर्ष 2020 मध्यप्रदेश।

विष– मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षाओं की विशेष परीक्षा के आयोजन के संबंध में।

संर्द–मण्डल का पत्र कमांक/1730–1731/परीक्षा समन्वय/2020, भोपाल, दिनांक 05.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2020 कीशेष बची परीक्षाओं की विशेष परीक्षा के आयोजन संबंधी परीक्षा कार्यकम एवं आवश्यक निर्देश प्रसारित कि गये है। परीक्षा कार्यकम के निर्देश बिन्दु कमांक 05 एवं 06 में निम्नानुसार त्रुटि सुधार किया जाता है–

1– परीक्षा कक्ष में उपस्थिति प्रातः 08:00 बजे के स्थान पर प्रातः 10:00 बजे अनिवार्य होगी एवं परीक्षा कक्ष में प्रातः 08:45 बजे के स्थान पर प्रातः 10:45 बजे के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

2– परीक्षा कक्ष में उत्तरपुस्तिका का वितरण परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रातः 08:50 बजे के स्थान पर प्रातः 10:50 बजे एवं प्रश्न–पत्र 05 मिनट पूर्व अर्थात प्रातः 08:55 बजे के स्थान पर प्रातः 10:55 बजे पढ़ा जावे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठकन क्रमांक/1734/परीक्षा–समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक– 7/08/2020

प्रतिलिपि–

1– मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– आयुक्त, निःशक्तजन, कम्युनिटी हॉल, 1250, तुलसी नगर, भोपाल।
8– समस्त– संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9– समस्त– उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
10– आचंलिक/समस्त– संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा0 शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
11– सी.एस.ओ./पी.आर.ओ./पंजीयक परीक्षा/विधि सलाहकार/सहा.सचिव/मा.शि.म.म.प्र.।
12– नि.स.–अध्यक्ष/सचिव/अति. सचिव/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी, मा0शि0म0 म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक /1730/प.स./2020 भोपाल दिनांक 05/08/2020

प्रति,

1–समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2–समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।
3–समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5–समस्त समन्वयक संस्था प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
6–समस्त केन्द्राध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषयः– मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकण्डरी परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षाओं की विशेष परीक्षा के आयोजन के संबंध में।

संदर्भः– मण्डल का पत्र क्रमांक 1696/परीक्षा समन्वय/08.06.2020 एवं पत्र क्रमांक 1708–09/परीक्षा समन्वय/2020 दिनांक 13.07.2020 व पत्र क्रमांक 1718–19/परीक्षा समन्वय/2020 दिनांक 29.07.2020। ।

—//—

मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं की विशेष परीक्षएँ दिनांक 17.08.2020 से 21.08.2020 के मध्य संचालित होगी। विशेष परीक्षा हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से तत्समय संक्रमित, कोरेंटाईन, होम कोरेंटाईन या संस्थागत कोरेंटाईन एवं दिव्यांग छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से परीक्षा से वंचित रहे छात्रों के परीक्षा आवेदन भरवाये गये है। आपके जिले के छात्रों की सूची व जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके लॉगिन में प्राप्त दस्तावेजों के अधार पर मान्य/अमान्य करने हेतु उपलब्ध कराई गई थी।

विशेष परीक्षा जिले पर संचालित करने हेतु निर्देश निम्नानुसार है–

1. ऐसे समस्त छात्रों का परीक्षा केन्द्र जिले की समन्वयक संस्था को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है।
2. समन्वयक संस्था के प्राचार्य को परीक्षा केन्द्र का केन्द्राध्यक्ष नियुक्त जावे।
3. समन्वयक संस्था के उप प्राचार्य को सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होगा।
4. परीक्षा केन्द्र को परीक्षा कार्यक्रमानुसार प्रत्येक दिन सेनेटाईज किया जावे। परीक्षा केन्द्र पर सेनेटाईजर, साबून एवं पानी की व्यवस्था की जावे। छात्रों को पानी पीने के लिये डिस्पोजल गिलास का उपयोग किया जावे।
5. परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रों को अपने नाक मुंह को नकाब/कपड़े से ढ़क कर रखना एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जावे। परीक्षा केन्द्र पर थूकना, पान, गुटखा आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. परीक्षा केन्द्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जावे। थर्मल स्क्रिनिंग के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा छात्र के शरीर का तापगान अधिक आने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।
7. छात्रों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगें।
8. विशेष परीक्षा की गोपनीय सामग्री एवं परीक्षा की अन्य सामग्री मण्डल के प्रतिनिधि के द्वारा परीक्षा तिथि के पूर्व प्रेषित की जावेगी। गोपनीय सामग्री प्राप्त होने पर थानों में सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था पूर्वानुसार ही की जावे।
9. विशेष परीक्षा के आयोजन हेतु समस्त केन्द्राध्यक्ष को ₹ 2000/– एवं इन्दौर जिला को ₹ 3000/– प्रदाय किये जावेगें। जिसका व्यय नियमानुसार एवं पूर्व में दिये निर्देशानुसर किया जावे।

मण्डल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा के सफल संचालन हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक /1773/ परीक्षा समन्वय/2020 दिनांक 05/08/2020

प्रतिलिपि–

1 मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुडा भवन, मध्यप्रदश, भोपाल।
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, सतपुडा भवन, मध्यप्रदश, भोपाल।
7. आयुक्त, नि:शक्ताजन कम्युनिटी हॉल, 1250, तुलसी नगर, भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग,म.प्र.।
10. आंचलिक/समस्त–संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिहाक्षा मण्डल,म.प्र.।
11. सी.एस.ओ./पी.आर.ओ./पंजीयक परीक्षा/विधि सलाहकार/सहायक सचिव/मा.शि.म.प्र.।
12. निस.–अध्यक्ष/सचिव/अति.सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी , मा.शि.म.प्र.।

की ओर समचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट विशेष परीक्षा वर्ष – 2020
(सामान्य एवं दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों हेतु)

क्र.	परीक्षा का दिन	परीक्षा दिनांक	परीक्षा का समय	विषय
1	सोमवार	17.08.2020	11:00 से 02:00 तक	1– केमिस्ट्री, Chemistry 2– भारतीय कला का इतिहास Historyof Indian Art 3– विज्ञान के तत्व Element of Science 4– व्यावसायिक अर्थशास्त्र, Business Economics 5– एनिमल हस्बेण्ड्री मिल्कट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एण्ड फिसरीज Animal Hus. Milk trade, Poultry Farming & ishery 6– भूगोल, Geography
2	बुधवार	19.08.2020	11:00 से 02:00 तक	1– बायलॉजी – BIOLOGY 2– स्टिल लाईफ एण्ड डिजाइन, Still Life & Design 3– शरीर रचना क्रिया–विज्ञान एवं स्वास्थ्य Anotomy Physiology & Health 4– बुक–कीपिंग एण्ड एकांउटेन्सी Book-Keeping & Accountancy 5– क्रॉप प्रोडेक्शन एण्ड हर्टिकल्चर Crop. Production & Horticulture 6– अर्थशास्त्र – ECONOMICS
3	शुक्रवार	21.08.2020	11:00 से 02:00 तक	1– राजनीति शास्त्र, Political Science 2– हायर मेथमेटिक्स Higher Mathematics 3– ड्राइंग एण्ड डिजाइनिंग, Drawing & Designing

निर्देश –

1	परीक्षा केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक, मुंह को नकाब/कपड़े से ढक कर रखना एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
2	अभिभावक अपने बच्चों को कोविड–19 के संकमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, उनके बच्चे बीमार नहीं हो।
3	परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थित होने के दौरान जारी किये गये सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
4	परीक्षार्थी एवं अन्य सर्वसंबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भलीभांति नोट कर लें। परीक्षाकाल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षायें यथावत कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होगी।
5	परीक्षा केन्द्र पर समस्त परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जावेगी, अतः समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 08:00 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 08:45 बजे के पश्चात् किसी भी छात्र को प्रवेश नही दिया जावेगा।
6	परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनिट के प्रातः 8:50 बजे से पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 05 मिनिट के प्रातः 8:55 बजे से पूर्व प्रश्न–पत्र दिये जायें।
7	प्रतिदिन थाना एवं परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के लिफाफे निकालने एवं खोलने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूर्ण करेंगे।
8	मण्डल, आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किन्तु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल